पैक हाउस पर नोट

भारत से ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस सुविधा

भारतीय बागवानी उत्पादों को एक नया स्थान देने हेतु तथा निर्यात में एक उपयुक्त मानक सुनिश्चित करने के लिए , एपीडा ने बागवानी उत्पाद के अधिक्रमण में इच्छुक निर्यातकों के लिए पैक हाउस जैसी इंटीग्रेटेड सुविधा का विकास किया। इस पैक हाउस का उद्देश्य बागवानी उत्पादों के निर्यातकों को क्वारंटाइन सुरक्षा के साथ उत्पाद की गुणवत्ता के मामले में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पैक हाउस का विकास सामग्री की हैंडलिंग, होल्डिंग, पूर्व-निरीक्षण, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टैकिंग, प्री-कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, क्वारंटाइन चेक आदि, बैकवर्ड लिंकेज को प्रोत्साहन , ट्रेसबिलिटी बनाए रखना , अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उचित गुणवत्ता वाले उत्पाद का निर्यात, संवर्धन और प्रचार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों और प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना , उत्पाद की गुणवत्ता, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा के मानकों का उन्नयन, और निर्यातकों के बीच एक स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी वातावरण के निर्माण के लिए आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

एपीडा की मान्यता:

पैक हाउस निर्यात के लिए सभी बागवानी उत्पादों जैसे ताजे फल , सब्जियां आदि के लिए हैंडलिंग और प्रसंस्करण हेतु लागू है। पैक हाउस के लिए एपीडा मान्यता बहुविध उत्पादों के लिए प्रदान की जाएगी जिसके लिए उपयुक्त सुविधाएं और प्रक्रियात्मक अनुपालन समान अवसंरचना सुविधाओं के अनुरूप हों जो निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के आधार पर पैक हाउस में विद्यमान पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न हितधारक भी शामिल हैं और आयात करने वाले देशों के अनुसार गुणवत्ता निर्यात के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदारियां प्राप्त कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ के देशों के लिए सामान्य आवश्यकताएँ:

भारत से सब्जियों और फलों को एनपीपीओ/एपीईडीए द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित पैक हाउस में फाइटोसैनिटरी निरीक्षण के आधार पर यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात किया जा सकता है , जहां निरीक्षण, जांच आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और उत्पाद को प्लांट क्वारंटाइन अधिकारी की देखरेख में पैक किया जाता है।

निरीक्षण किए गए कनसाइनमेंट की फाइटोसैनिटरी स्थिति को पैक हाउस में निर्धारित क्वारंटाइन क्षेत्र में उचित भंडारण द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और स्वच्छ व कीटाणुरहित वाहनों द्वारा ले जाया जाएगा। साथ ही , एक्जिट पॉइंट पर कनसाइनमेंट की लोडिंग को स्वच्छ और कीटाणुरहित कार्गो कंटेनरों में सुनिश्चित किया जाता है जिससे पर-संदूषण को रोका जा सके।

ट्रैसेबिलिटी:

अनुमोदित पैक हाउस कनसाइनमेंट के लिए बैकवर्ड ट्रैसेबिलिटी सूचना को बनाए रखने के जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त, निर्यातक वेब आधारित वनस्पति संगरोध सूचना प्रणाली (पीक्यूआईएस) के माध्यम से पीएससी के लिए आवेदन दाखिल करेंगे जहां मामले का वृत्तांत पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

यूरोपीय संघ आदि को सब्जी और फलों के निर्यात के लिए पैक हाउस की जिम्मेदारी:

1. पैक हाउस का डिज़ाइन एक यूनिडायरेक्शनल प्रकार से वस्तुओं के अंतर्वाह से बहिर्वाह को हैंडल करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए, जिसमें पर-संक्रमण/संदूषण की कोई संभावना न हो। उदाहरण के लिए , स्टैकिंग/होल्डिंग क्षेत्र के बीच पूर्ण अलगाव की आवश्यकता ; ग्रेडिंग, सोर्टिंग और पैकिंग क्षेत्र; पीक्यू निरीक्षण क्षेत्र और निरीक्षण पश्चात भंडारण क्षेत्र। डोर स्ट्रिप कर्टेन के साथ स्लाइडिंग प्रकार का होना चाहिए।
2. फलों और सब्जियों की खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही की जानी चाहिए और ऐसे किसानों की सूची रिकॉर्ड के लिए अनुरक्षित रखी जाएगी।
3. पैक हाउस में सामान्य साफ-सफाई और स्वच्छता के लिए लॉग बुक का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।
4. हानिकारक कीटों से बचने के लिए पैक हाउस की फर्श और दीवारों में दरारें नहीं होनी चाहिए और वह दरारों से मुक्त होना चाहिए और दीवारों पर मकड़ी के जाले आदि भी नहीं होने चाहिए।
5. समय-समय पर पैक हाउस में और उसके आसपास रोग निरोधक उपचार लागू करना।
6. सोर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग प्रक्रियाओं के सभी चरणों के दौरान संक्रमण/पुन: संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षा।
7. वनस्पति संगरोध निरीक्षण के लिए विशिष्ट क्षेत्र उपलब्ध कराना।
8. पर्याप्त प्रकाश और आवर्धक (मैग्निफायर) के साथ उचित निरीक्षण तालिका प्रदान करना।
9. एनपीपीओ द्वारा सूचीबद्ध अनुसार अपेक्षित उपकरण/मदों का अधिकार रखना।
10. अंतिम रूप से पैक और निरीक्षण किए गए कनसाइनमेंट के लिए अलग भंडारण क्षेत्र प्रदान करना।
11. पैक हाउस में खिड़कियों और अन्य खुले स्थानों पर कीट रोधी नेट/वायर मेश लगाना।
12. फ्रूट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स के लिए जाल (ट्रैप) लगाना। सभी जालों को क्रमांकित किया जाना चाहिए और उनके रिकॉर्ड को आवधिक रूप से अवलोकनों के साथ बनाए रखा जाना चाहिए ताकि कीटों के बारे में लिखित रूप में दर्ज किया जा सके।
13. जहां तक संभव हो , पैकिंग बॉक्स में पर-संक्रमण को रोकने के लिए वातन छिद्रों पर कीट प्रूफ जाल होना चाहिए।
14. निरीक्षण के बाद अंतिम रूप से पैक किए गए बॉक्स को निरीक्षण के बाद "वनस्पति संगरोध निरीक्षण" के स्टिकर/स्टाम्प के साथ चिपकाया जाएगा। पैक हाउस पीएससी जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निगरानी के लिए विधिवत क्रमांकित स्टिकर सील और वाहन मुहर प्रदान करेगा।
15. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अपेक्षित रजिस्टर अर्थात ; स्रोत सामग्री के विवरण युक्त कमोडिटी इनफ्लो रजिस्टर, प्रारंभिक निरीक्षण रजिस्टर, कीट निगरानी/ट्रैप रजिस्टर, सामान्य स्वच्छता रजिस्टर, कमोडिटी अस्वीकृति रजिस्टर, कंसाइनमेंट सीलिंग रजिस्टर, वाहन स्वच्छता/सील रजिस्टर, कमोडिटी आउटफ्लो रजिस्टर बनाए रखा जाता है।
16. सभी साइनेज/डिस्प्ले सामग्री विशेष रूप से पैक हाउस में हैंडल की जाने वाली कमोडिटीज़ और एसओपी के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संबंधित कीट/क्षति साइन।
17. पैक हाउस प्रति कार्य दिवस के माध्यम से हैंडल की जा सकने वाली कमोडिटी की क्षमता/मात्रा को लिखित रूप में घोषित करना जैसे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग और पीक्यू निरीक्षण।
18. प्रमाणित सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन की साफ-सफाई/सामान्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और रिकॉर्ड अनुरक्षित रखना।
19. प्रत्येक कनसाइनमेंट/लॉट के निरीक्षण के बाद संक्रमित/बची हुए सामग्री का निपटान सुनिश्चित करना और इस

संबंध में एक रिकॉर्ड बनाए रखा जाना सुनिश्चित करना।

20. एक मास्टर रजिस्टर होना चाहिए जिसमें सभी दस्तावेज/रजिस्टरों की सूची का उल्लेख किया गया हो।
21. सभी व्यक्तियों को प्रासंगिक दस्तावेज के अनुरक्षण के साथ पैक हाउस की गतिविधियों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह से सूचित/प्रशिक्षित किया जाना।
22. पैक हाउस द्वारा फलों और सब्जियों की सोर्टिंग/ग्रेडिंग और पैकिंग में लगे अर्धकुशल मजदूरों को पैक हाउस द्वारा प्रसंस्कृत कमोडिटी के प्रमुख कीटों के लक्षणों/क्षति के संकेतों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

राज्य के कृषि/बागवानी विभाग की जिम्मेदारी:

1. किसान या निर्यातक के अनुरोध पर यूरोपीय संघ को ताजी सब्जियां और फल निर्यात करने की आशा से किसानों / खेतों को पंजीकृत करना।
2. फार्म का पंजीकरण फसल के मौसम/एक वर्ष के लिए होगा।
3. पाक्षिक आधार पर पंजीकृत खेतों में कीटों और बीमारियों की स्थिति की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि उनका रिकॉर्ड पंजीकृत फार्म पर नियंत्रण उपायों/वनस्पति संरक्षण उपायों के रिकॉर्ड के साथ रखा गया है।
4. कीटों और बीमारियों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त वनस्पति संरक्षण उपायों का परामर्श देना विशेष रूप से ईसी के निर्देशों के अनुसार यूरोपीय संघ को कीटों के संबंध में चिंतित होना।
5. फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक की प्रबंधन पद्धतियों पर फार्म स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव और निगरानी सुनिश्चित करना।
6. कीट मुक्त फसलों के उत्पादन पर अनुमोदित किसानों के प्रशिक्षण का आयोजन करना , विशेष रूप से यूरोपीय संघ को कीटों के संबंध में चिंतित होना।
7. पंजीकृत किसानों को पीओपी/आईपीएम/जीएपी इनपुट (जैसे लाइट/स्टिकी/फेरोमोन ट्रैप , ट्राइको कार्ड , बायो-कीटनाशक आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

निर्यातकों के उत्तरदायित्व:

1. किसान/फार्म पंजीकरण के लिए राज्य के कृषि/बागवानी विभाग से अनुरोध करना।
2. राज्य के कृषि विभाग/बागवानी विभाग को पंजीकृत किए जाने वाले किसानों/खेतों , उगाई गई फसलों , खेत के क्षेत्र/स्थान और फसल के मौसम के दौरान संभावित उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान करना।
3. पंजीकृत किसानों से ही ताजे फल और सब्जियों की खरीद करना।
4. पंजीकृत किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना ताकि निर्यात के लिए कीट मुक्त उपज की खरीद सुनिश्चित की जा सके।
5. पैक हाउस को प्रत्येक कनसाइनमेंट से संबंधित जानकारी पंजीकृत फार्म नंबर के साथ उपलब्ध कराना।
6. अपंजीकृत फार्म की उपज को मिलाए बिना फार से पैक हाउस तक उपज का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना।

किसानों के उत्तरदायित्व:

1. यूरोपीय संघ को निर्यात करने के इच्छुक फार्म के पंजीकरण के लिए राज्य के कृषि/बागवानी विभाग से अनुरोध करना।
2. फसलों के मौसम के दौरान किए गए नियंत्रण उपायों/वनस्पति संरक्षण उपायों के रिकॉर्ड के साथ-साथ पाक्षिक आधार पर पंजीकृत खेतों में कीटों और बीमारियों की स्थिति बनाए रखना।
3. बुवाई से लेकर कटाई तक प्रबंधन प्रथाओं पर पंजीकृत फार्म में प्रत्येक फसल का रिकॉर्ड बनाए रखना।
4. राज्य के कृषि विभाग/बागवानी विभाग से सलाह या कीट प्रबंधन प्रथाओं , कीटनाशकों के लिए प्रतीक्षा अवधि आदि पर निर्यातक से तकनीकी सहायता का पालन करना।

परिशिष्ट-'क'

यूरोपीय संघ को ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए फार्म पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन
(किसान/निर्यातक द्वारा राज्य कृषि/बागवानी विभाग को प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकरण एवं कृषि/बागवानी अधिकारी

तालुक.............................जिला..................................राज्य....................................

विषय: यूरोपीय संघ को ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए फार्म पंजीकरण/नवीनीकरण

महोदय,

आपसे अनुरोध है कि कृपया नीचे दिए गए विवरण के अनुसार यूरोपीय संघ को ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए मेरा फार्म पंजीकरण/नवीनीकरण करें:

1.	किसान/कृषक का पूरा नाम	
	पिता/पति का नाम	
	भागीदारों का नाम	
क	पत्राचार पता	
	गांव	
	तालुक	
	ज़िला	
	राज्य	
	एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर	
	मोबाइल नंबर	
	ईमेल पता	
ख	फार्म/प्लॉट स्थान का पता (सर्वेक्षण संख्या/प्लॉट संख्या) के साथ उगाई गई फसल के सभी पक्षों के संकेतक के साथ प्लाट का मैप/लेआउट। (कृपया संलग्न करें)	
2	फार्म पंजीकरण संख्या (नवीनीकरण के मामले में)	
3	कुल फार्म क्षेत्र (हैक्टेयर में)	
4	क्या फार्म ग्लोबल गैप प्रमाणित है यदि हां , तो प्रति संलग्न करें	
	प्रमाणपत्र संख्या	
	जारी करने की तिथि	
	वैधता तिथि	
	प्रमाणन एजेंसी का नाम	
	➢ प्रत्येक प्लाट के क्षेत्रफल के साथ फार्म में प्लाट की संख्या ➢ संरक्षित खेती के अंतर्गत नेट हाउस/पॉली हाउस/ग्रीनहाउस की संख्या	

क्र. सं.	फसल का नाम	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	सर्वे/प्लाट सं.	किस्म	बुवाई/रोपण की तिथि	कटाई की तिथि (अपेक्षित)	अनुमानित उत्पादन (मीट्रिक टन)

6.	पैक-हाउस का नाम और पता	
7.	पंजीकरण/नवीकरण शुल्क (यदि लागू हो)	
8.	पिछले वर्ष के निर्यात के बारे में विवरण (उत्पाद वार)	
	मीट्रिक टन में मात्रा	
	निर्यातक का नाम	
	पैक हाउस का नाम	
9.	कोई गैर-अनुपालन अधिसूचना	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी सत्य है। हम यूरोपीय संघ के देशों को सब्जियों और फलों के निर्यात निरीक्षण और फाइटोसेनिटरी प्रमाणन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित दिशानिर्देशों/शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।

दिनांक: **(किसान के हस्ताक्षर)**

स्थान: **किसान का नाम**

परिशिष्ट-'ख'

________ सरकार

________ विभाग

यूरोपीय संघ को सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए फार्म पंजीकरण प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ______________________को वर्ष 20 अप्रैल... से 20 मार्च.... के लिए यूरोपीय संघ के देशों को सब्जी और फलों के निर्यात निरीक्षण और फाइटोसेनिटरी प्रमाणन के लिए एसओपी के अनुसार जिला अधीक्षण कृषि / बागवानी अधिकारी _____ के कार्यालय के साथ सब्जी / फल उत्पादक के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

पंजीकृत किसान का विवरण इस प्रकार है

किसान का नाम:

पूरा पता: गांव:

तालुक/मंडा: जिला

क्र. सं.	फसल और किस्म का नाम	सर्वे/गेट सं.	प्लाट सं.	प्लाट का क्षेत्र (हैक्टेयर)	अनुमानित उत्पादन (मीट्रिक टन)	फार्म पंजीकरण सं.
1						
2						
3						
4						
5						
6						

1. मैप लेआउट संलग्न है।
2. यह प्रमाणपत्र ... तक वैध है .
3. पंजीकरण के संबंध में सर्वेक्षण/जीएटी संख्या सत्यापित कर ली है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार , उपरोक्त जानकारी सही है।

स्थान: पंजीकरण प्राधिकारी

दिनांक: (कृषि/बागवानी विभाग)

सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए फार्म पंजीकरण के नियम और शर्तें

क) व्यवसाय के केवल अनुशंसित पैकेज का पालन करना।

ख) किसान सीआईबी और आरसी द्वारा अनुशंसित सब्जियों और फलों पर उपयोग के लिए अनुमत कीटनाशकों के अलावा अन्य कीटनाशकों का उपयोग नहीं करेगा।

ग) मिसब्रांडेड, गैर-अनुशंसित या प्रतिबंधित कीटनाशकों या किसी हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

घ) पंजीकृत किसान एक निर्धारित रजिस्टर में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के पैकेज का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

ङ) उनके द्वारा पंजीकरण अभिलेख या पंजीकरण प्रमाण पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

च) आवेदक को नियत तारीख से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना होगा।

छ) पंजीकृत किसान यूरोपीय संघ के देशों को सब्जियों और फलों के निर्यात निरीक्षण और फाइटो सेनिटरी प्रमाणन के लिए एसओपी में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

परिशिष्ट-'ग'

पंजीकृत फार्म के लिए रिकॉर्ड (फसल और प्लाट-वार) बनाए रखने के लिए प्रोफार्मा (किसान द्वारा अनुरक्षित और राज्य के कृषि विभाग/बागवानी विभाग द्वारा निगरानी)

1) फार्म पंजीकरण संख्या :
2) फार्म के पंजीकरण/नवीकरण की तिथि :
3) किसान का नाम और पता :
4) प्लॉट का स्थान (लेआउट/बेंचमार्क) :
5) पंजीकृत फार्म/प्लाट का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर) :
6) फसल का नाम और किस्म :
7) बुवाई/रोपण की तिथि :

क. कीटों की स्थिति:

क्र. सं.	अवलोकन की तिथि (न्यूनतम पाक्षिक)	फसल चरण	देखे गए कीट का नाम	कीट की तीव्रता	अपनाए गए वनस्पति संरक्षण उपाय	राज्य के कृषि/बागवानी विभाग द्वारा कोई अन्य सूचना/टिप्पणी
1.			1.			
			2.			
			3.			
			4.			
			5.			
2.			1.			
			2.			
			3.			
			4.			
			5.			

ख. प्रयुक्त कीटनाशक/रसायन का विवरण :

क्र. सं.	आवेदन की तारीख	कीटनाशक/रसायन का नाम	डोज़(मिली/लीटर पानी)	प्रयुक्त रसायन की मात्रा	टिप्पणी/कोई अन्य जानकारी
1.					
2.					
3.					

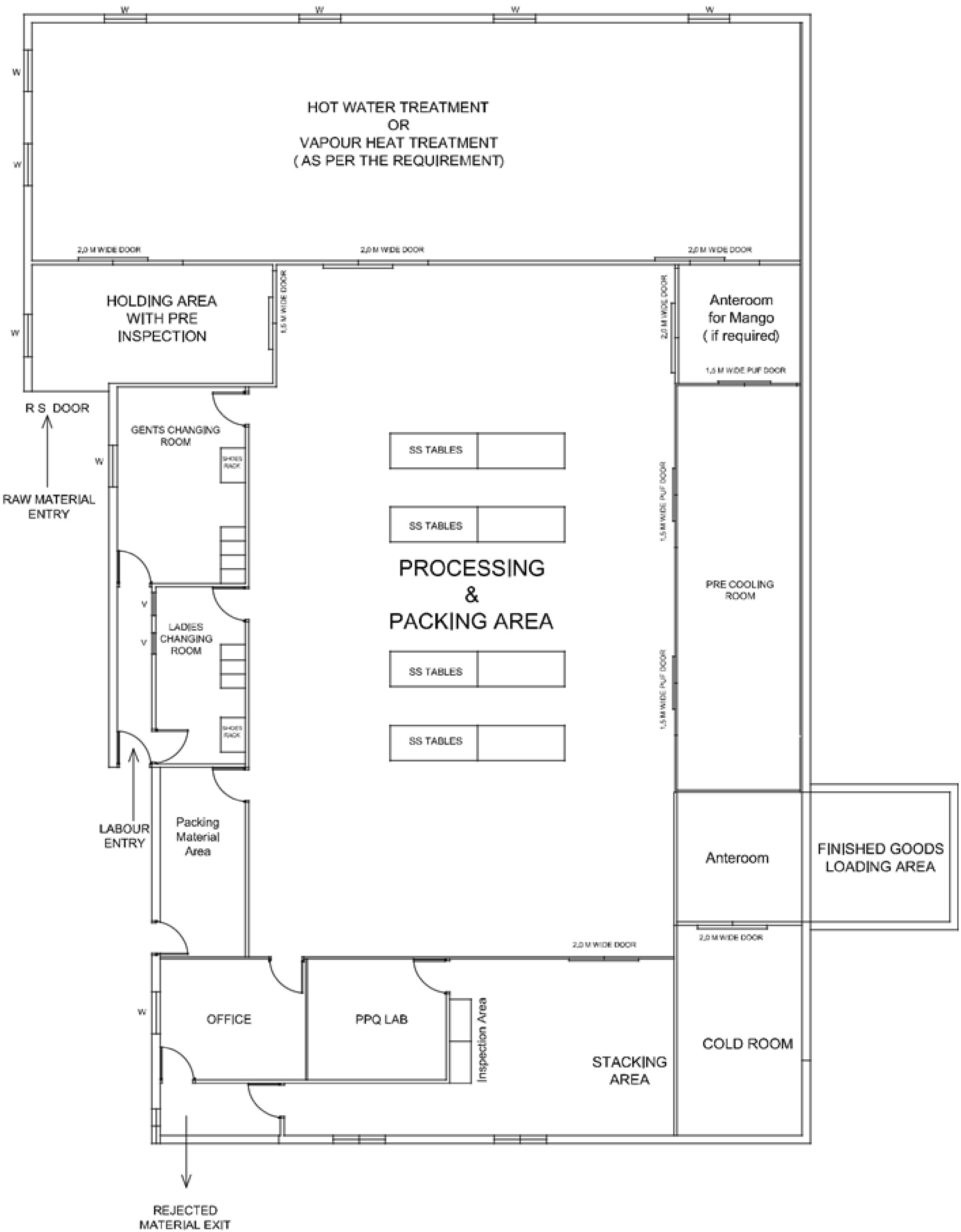

TYPICAL PACKHOUSE LAYOUT

उत्पाद फ्लो चार्ट

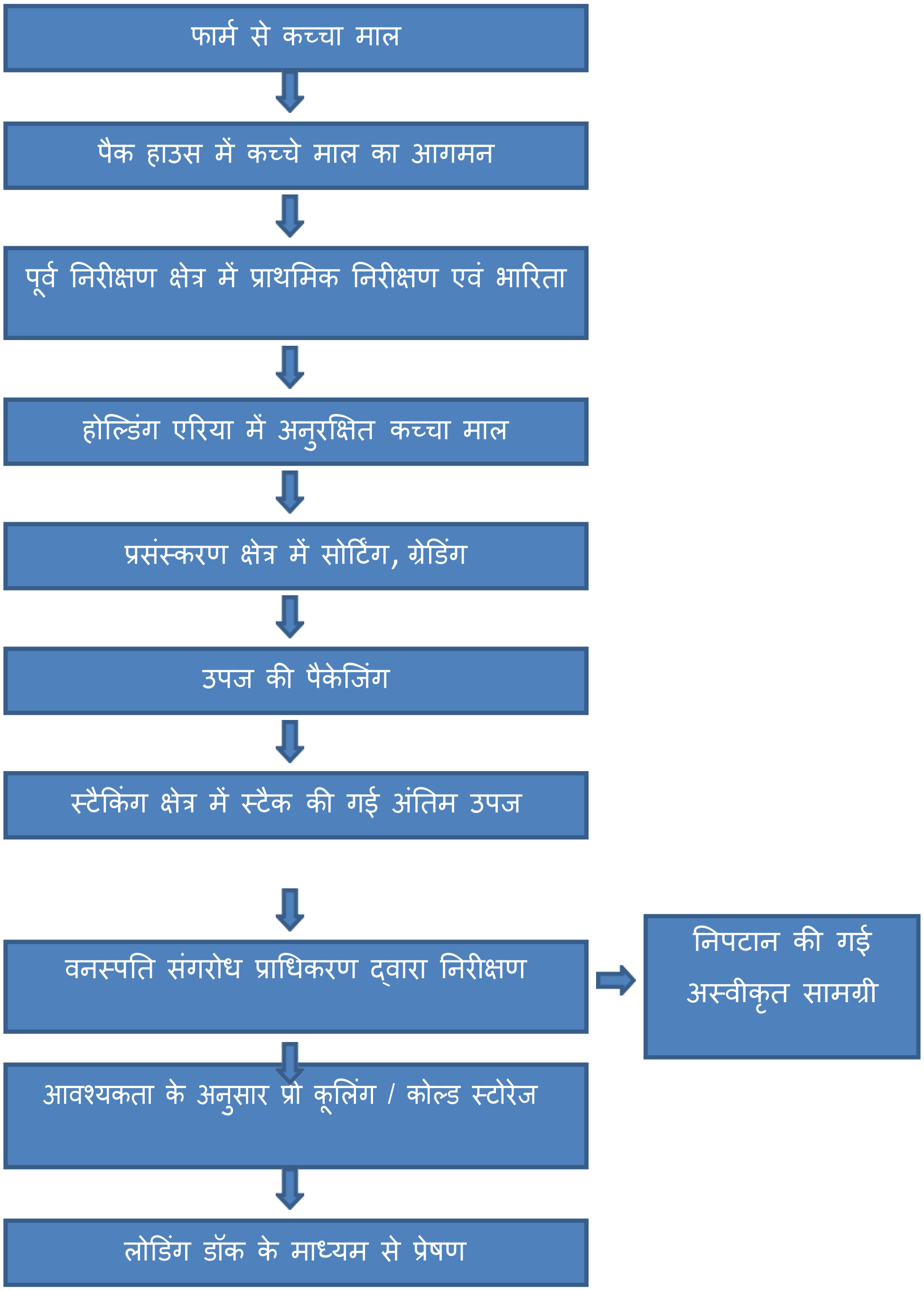
फार्म से कच्चा माल
पैक हाउस में कच्चे माल का आगमन
पूर्व निरीक्षण क्षेत्र में प्राथमिक निरीक्षण एवं भारिता
होल्डिंग एरिया में अनुरक्षित कच्चा माल
प्रसंस्करण क्षेत्र में सोर्टिंग, ग्रेडिंग
उपज की पैकेजिंग
स्टैकिंग क्षेत्र में स्टैक की गई अंतिम उपज
वनस्पति संगरोध प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण
निपटान की गई अस्वीकृत सामग्री
आवश्यकता के अनुसार प्री कूलिंग / कोल्ड स्टोरेज
लोडिंग डॉक के माध्यम से प्रेषण